सहभागी सिचांई में जल उपभोक्ता समिति की भूमिका

गोवर्धन.र.कुलकर्णी

महात्मा जोतीबा फुलेपाणी वापर संस्था, महाराष्ट्र

सारांश

अभियंता द्वारा बनाई पार्थिव रचना लोक सहभाग बिना अधूरी है। कहना था वाघाड़ के टेल को पानी नहीं जायेगा, किसान ने मायनर का पत्थर, मिट्टी निकालकर मरम्मत की और टेल में 153 हे. की सिंचाई की। घन मापन से नापकर मिलने वाले पानी का बँटवारा किसानों में घंटों के आधार पर किया। मायनर के पुनर्निर्माण में प्रति हे. 500/– (200/– नकद और 300/– का श्रमदान) अंशदान दिया। किसान की सिंचाई सोच में आया बदलाव, **मेरे साथ मेरे पड़ोसी का भी नहर के पानी पर हक है। पानी का मूल्य अदा करना मेरा फर्ज है।** इससे फसल की घनता में बढ़ोत्री हुवी। ओझर में इसी बदलाव से किसान के साथ–साथ खेत मजदूर का जीवन स्तर भी ऊँचा हो गया है अंगूर के सहारे ओझर. का किसान प्रति हेक्टर **प्रति वर्ष 3 लाख** तक कमा रहा है। खेत मजदूर के लिए सालाना 40–50 दिन के बजाय **250 दिन** के रोजगार का सृजन हुआ। फसल की आजादी मिलने के कारण किसान ज्यादा उपज वाली फसलें लेने लगा। साथ ही सरकार के सिंचाई कर के महसूल मे बढ़ोत्री हुयी मौसम बदलाव के कारण प्रति हेक्टर पानी की उपलब्धता घट रही है। ऐसी हालत में उपलब्ध जल का सही नापकर बँटवारा किया तो ही सबको पानी मिलेगा। ये बात ध्यान में रखकर पानी का बँटवारा होता है। जितनी जमीन उतनी सिंचाई के बजाय **जितना पानी उतनी सिंचाई** की जाती है। अर्वतन के दौरान आयी किसान की मांग मायनर की वहन क्षमता को ध्यान में रखकर किसान के पानी के घंटे तय किये जाते हैं। देखा जाय तो कमांड के लिये जितना पानी है उस पानी में अगर सभी लाभ क्षेत्र नहर के जरिये सिंचित किये तो दो ही अर्वतन हो पायेंगे (प्रति हेक्टर पानी की उपलब्धता आठ इंच)। मगर सही तरीके से बँटवारा किया जाये एवं ठिबक सिंचाई का उपयोग करके दो आर्वतन के बीच फसल के पानी की जरुरत को भी पूरा किया जाता है। तब यहाँ का किसान अपने बावड़ी का पानी फसल को देता है। यानि नहर का पानी **(भूपृष्ठ जल)** और बावड़ी **(भूजल)** का पानी इन दोनों का **संयुक्तरित्या** उपयोग होता है जल उपभोक्ता संघटनों की कारोबार में आधुनिकता लाने के लिये कम्प्यूटर मोबाईल हैन्डसेट का उपयोग है। संस्था के सुयोग्य बँटवारे से किसान को पानी मिला उसका कृषि उत्पाद बढ़ा। साथ में उत्पादित माल के बाजार लिये की व्यवस्था की। **सोलरड्रायरका** उपयोग करके कृषि माल का सुखाकर मूल्यवर्धन कर रहे है।

Abstract

Incase of Agriculture irrigation is very important it may be bay Rain ,Surface Water or Ground Water. But due to climatic change rain days are decreasing. On the other hand with increasing population question of food security is arising due to uncertainty in rain we have to depend on ground and surface water. Ground water level is decreasing and pumping of water is becoming expensive so we have to target to surface water. We have a tradition of people's participation regarding to maintenance and distribution of water sources (Drinking & irrigation water).But in 19th century due to some misdecigions involvement of peoples in maintain and operating of these system get realsed. Which not only affects on the irrigation area but on production of food grain also? It affects on national productivity considering all these rehabition of this tradition is going on in the form of WUAs. There are so many WUAs are working as a fountain head for PIM. If we study **case of OZAR tail end** of wag had medium irrigation project in Maharashtra state is excellent example of devotional peoples participation and team work in PIM. With well planed irrigation programming, conjunctive use volume base counting of water. **13 times** increase in Government revenue **20 times** in irrigated area . Food grain production increases from **3 Tons to 3 Tons per/ Ha**. Employment generation increases from **2 Month to 10 Months** in year. Farmers average annual income to a Ha. Increases from **2800/-to 3 lakhs**. . A tail end farmer at wag had RBC have developed a method regarding to mobile hand set using by it WUA can easily know its **entitlement base water quota of rotation**. This all changes are due to well planning of drop of water if such kind of work is done in every dam command there will be no poverty line and will not **be need of schemes like E.G.S.**There is **value addition of vegetables by dehydration** in WUA command. OZAR is at 200 km away from Bombay on NH3 near Nashik.

प्रस्तावना

हिन्दुस्तान में सहभागी सिंचाई की परंपरा है। किसान भाई जल स्त्रोतों का रखरखाव और परिचालन अपनी भागीदारी से करते। महाराष्ट्र के माल गुजारी तलाव फड़ पध्दत राजस्थान की वाराबंदी लोक सहभाग से सिचांई के उत्तम उदाहरण। मुगलों के जमाने में भी जल सिचांई परियोजना बनाई जाती थी जिसे **प्रबंन्धन हेतु किसानों के हाथों सौंप दिया जाता था**। उस वक्त किसानों में उन योजनाओं के प्रति अपने–पन की भावना थी। इसी भावना से किसान अपना समर्पित सहयोग परियोजना के रखरखाव में देता था। स्वतंत्रता पूर्व किसान के पानी पर हक जमाने के लिये कुछ **अधिकार वादी नीतियों की** वजह से किसानों का सहयोग जल वितरण क्षेत्र से हटता गया। किसान का अपना पानी पराया हो गया। जैसे–जैसे किसानों का सहयोग घटता गया सहभागी सिंचाई का सूरज ढलने लगा। आजादी के बाद भी वही नीतियाँ बनी रहीं। इसका नतीजा देश में ढेर सारे डैम बनने के बावजूद भी सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोत्री की बजाय कटौती ही होने लगी। डैम में पानी बारिश का है तो वह मुफ्त में ही मिलना चाहिये आम किसानों की ये सोच बनी। राजनीति ने इस मानसिकता को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर चाहे 50 हे. की सिंचाई हो या 500 हे. मेरी तनख्वाह पर उसका कोई असर होने वाला नहीं। ये भी मानसिकता बनी इन्हीं के कारण डैम का पानी पूरे लाभ क्षेत्र को मिलने के बजाय **मुठ्ठी भर लोगों का वतन बन बैठा।** और जो धरती सोना मोती उगलती थी वो बंजर बनने लगी। टेल के किसान को सिंचाई के लिये पानी नहीं और सरकार को सिंचाई करने का महसुल नहीं। महसुल ना मिलने से जल वितरण व्यवस्था का रखरखाव नहीं और वितरण व्यवस्था सही न होने से जल वितरण नहीं। इसी चक्र में नहर का पानी उलझ गया। इससे **राष्ट्रीय कृषि उत्पाद** के साथ किसान का आर्थिक एवम् सामाजिक स्तर घटता गया। दूसरी ओर हिस्सों में बटती जमीनें बदला हुआ मौसम बारिश के घटते दिन बढ़ती आबादी के साथ बढ़ती अनाज की मांग ज्यादा उपज के लिये नगद फसल की ओर किसान का बढ़ता ध्यान, इन सब बातों को ध्यान मे रखते हुये नहर की सिंचाई वितरण प्रबन्धन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने अनिवार्य हैं। **ये सब बदलाव किसान के सहभाग बिना अधूरे हैं।** सहभागी सिंचाई से किसानों को पानी और राष्ट्र को खाद्यान्न सुरक्षा भी दी जा सकती है।

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित ओझर गांव सिंचाई परियोजना प्रबन्धन में लोक सहभाग का एक सुंदर उदाहरण है। ओझर गांव NH3 पर मुंबई से 200 कि.मी. पर इंदोर की दिशा में नाशिक के पास है ओझर का 1151 हे. वाघाड के कमांड में है।1991 में ओझर की नहरे संस्था के हाथों प्रबन्धन हेतु सौंपी गयी। तब से परियोजना के सिंचाई जल का नियोजन और वितरण संस्था द्वारा किया जाता है। लगभग 2000 किसान परिवार सहभागी सिंचाई में कार्यरत हैं। अंगूर, प्याज, सोयाबीन मूँगफली, टमाटर, चना, गन्ना, तरकारी जैसी फसलें ली जाती हैं। इस परियोजना की और एक विशेषता है यहाँ का किसान अपनी कुशलता पूर्वक नियोजन से **टेल टू हेंड** सिंचाई के जरिये आठ महिने से बारह महिने सिंचाई कर रहा है। सहभागी सिंचाई के पूर्व काल में ओझरकी नहरें साल में एक–दो बार ही चलती थी। मुकिल से 35 हे. की सिंचाई होती थी। किसान प्रति वार्षिक प्रति हेक्टर 2800/–रु. कमाता था। सिंचाई कर भी सालाना 25000 हजार तक ही जमा होता था। किसान के समर्पित सहभाग से जो बदलाव आया उसकी वजह से आज पूरा लाभ क्षेत्र सिंचित हो रहा है। नहरें साल में 5–6 बार चल रही हैं। सरकार की सिंचाई कर की आमदनी भी 3 लाख तक बढ़ गयी। सन् 1991 में तीन जल उपभोक्ता संगठन (महात्मा फूले पानी वापर संस्था, जय योगेष्वर पानी वापर संस्था, बाण गंगा पानी वापर संस्था) ओझर में स्थापित हुई। ओझर में जहाँ पर 35 हे. की सिंचाई होती थी वहाँ पर आज रब्बी में 750 हे. और गर्मी मे 330 हे. कि सिंचाई होती है। हमेशा ये कहा जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा शुरु किया काम उसके बाद रुक सा जाता है। मगर ओझर में ये नहीं हुआ कै बापू साहेब उपाध्दे, कै राजाभाऊ कुलकर्णी, के बाद आज सहभागी सिंचाई के आंदोलन में तीसरी पीढ़ी कार्यरत है। आज यहाँ हो रहा काम उतना ही जोशीला औरों के लिये आर्दशवत है।

1. ओझर की सहभागी सिंचाई की यशस्विता तथा लाभ क्षेत्र में आये बदलाव के मुख्य बिंदु:

1.1 किसानों का समर्पित सहभाग

अभियंता द्वारा बनाई पार्थिव रचना लोक सहभाग बिना अधूरी है। कहना था वाघाड़ के टेल को पानी नहीं जायेगा, किसान ने मायनर का पत्थर, मिट्टी निकालकर मरम्मत की और टेल में 153 हे. की सिंचाई की। वाल्मी ने (वॉटर एन्ड डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट औरंगाबाद) जो पानी बँटवारा और नापना सिखाया उसका मायनर पर सही अध्ययन किया। घन मापन से नापकर मिलने वाले पानी का बँटवारा किसानों में घंटों के आधार पर किया। मायनर के पुनर्निर्माण में प्रति हे. 500/– (200/– नकद और 300/– का श्रमदान) अंशदान दिया। **किसान की सिंचाई सोच में आया बदलाव,** मेरे साथ मेरे पड़ोसी का भी नहर के पानी पर हक है। पानी का मूल्य अदा करना मेरा फर्ज है। अर्वतन के दौरान संस्था का कैनाल इंस्पेक्टर पानी बँटवारे के साथ

एक रिपोर्ट तैयार करता है। उसमें पानी बाँटते वक्त नहर पर पाया गया आँखों देखा हाल होता है और वह रिपोर्ट अर्वतन के बाद की बैठक मे पढ़ी जाती है। उस पर बड़ी गौर से चर्चा होती है। जहाँ कहीं गलत हो रहा वहाँ पर कानून या दंडात्मक कार्यवाही के बजाय (2005 के कानून के तहत संस्था को ढेर सारे अधिकार प्राप्त है) सामाजिक दबाव का उपयोग करके लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया जाता है। मानसिकता में बदलाव आये तो सवाल जड़ से हल होता है।

1.2 सिंचाई कर की वसूली और कर्मचारी नियुक्ति

सिंचाई कर के आकरनी और वसूली संस्था की तरफ होने से संस्था की आर्थिक स्थिति में संपन्नता आयी। साथ ही संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी तनख्वाह संस्था द्वारा दी जाती है। जिससे कर्मचारियों पर एक दबाव बनाये रहता है। ओझर की संस्थाओं ने कर्मचारी नियुक्ति करते वक्त लाभ क्षेत्र के ही किसानों के लड़कों को वाल्मी औरंगाबाद में प्रशिक्षित किया और काम पर लगाया।

1.3 राजनीति को दूर रखा

पानी सर्वव्यापी है। खुद का कोई रंग नहीं जिसमें मिलता उसी का रंग प्राप्त करता। पानी के बिना किसान का विकास अधूरा है। ये बात ध्यान में रखते हुये वाघाड़ के किसान ने पानी को राजनीति से दूर रखा।

1.4 टेल टु हेड सिंचाई

नहर का पानी सबसे पहले आखरी वाले किसान को मिलने से उसके मन में संस्था के प्रति एक अपनेपन की भावना आ गयी। विश्वास पैदा हुआ। संस्था के प्रति आदर भाव बढ़ गया संस्था पूर्व काल में उसको पानी देखने को ही नहीं मिलता था। आज उसके खेत में सिंचाई हो रही है।

1.5 आठ महीने पानी में बारह महीने सिंचाई

ये सोच है कि आठ महीने पानी से बारह महीने सिंचाई करने से क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है। मगर ऐसे बदलाव करके भी अगर सही नियोजन नहीं होगा तो कुछ खास हासिल नहीं होता। किसान ने कुशलता पूर्वक नियोजन से अंगूर जैसी **बारह महीने फसल आठ महीने परियोजना पर खड़ी की**। जल उपभोक्ता संस्था का जो करारनामा होता है, उसमें स्पष्ट रुप से दर्ज किया गया है कि जल उपभोक्ता संस्था खरीप रबी में पानी बचाकर डैम में रख सकती है। उसका उपयोग गर्मी के मौसम में कर सकती है। इससे फसल की घनता में बढ़ोतरी होगी। इसी बदलाव से किसान के साथ–साथ खेत मजदूर का जीवन स्तर भी ऊँचा हो गया है अंगूर के सहारे किसान प्रति हेक्टर प्रति वर्ष 3 लाख तक कमा रहा है। खेत मजदूर के लिए सालाना 40–50 दिन के बजाय 250 दिन के रोजगार का सृजन हुआ। फसल की आजादी मिलने के कारण किसान ज्यादा उपज वाली फसलें लेने लगा। साथ ही सरकार के सिंचाई कर के महसूल में बढ़ोत्री हुयी।

1.6 पानी का नापकर बँटवारा और संयुक्त पानी वापर

मौसम बदलाव के कारण प्रति हेक्टर पानी की उपलब्धता घट रही है। ऐसी हालत में उपलब्ध जल का सही नापकर बँटवारा किया तो ही सबको पानी मिलेगा। ये बात ध्यान में रखकर पानी का बँटवारा होता है। जितनी जमीन उतनी सिंचाई के बजाय **जितना पानी उतनी सिंचाई** की जाती है। अर्वतन के दौरान आयी किसान की मांग मायनर की वहन क्षमता को ध्यान में रखकर किसान के पानी के घंटे तय किये जाते है।

2. घंटो पर आधारित पानी बँटवारे के फायदे

2.1. किसान ने समय का मूल्य समझा।
2.2. पानी की बर्बादी कम होकर सिंचाई की कार्य क्षमता बढ़ी।
2.3. किसान के जल कर में कटौती।
2.4. जल उपभोक्ता संस्था के पानी में बचत।

2.5. जितनी फसल की जरुरत उतना ही पानी का उपयोग।
2.6. जल कर आकारणी में आसानी ! (घंटो के हिसाब पर)
2.7. सिचांई के मनुष्य बल में कटौती।
2.8 पड़ोसी द्वारा सिंचाई पर नजर।
2.9. पानी के बँटवारे में अनुशासन।

3. संयुक्त पानी वापर

देखा जाय तो वाघाड़ के कमांड के लिये जितना पानी है उस पानी में अगर सभी लाभ क्षेत्र नहर के जरिये सिंचित किये तो दो ही अर्वतन हो पायेंगे (प्रति हेक्टर पानी की उपलब्धता आठ इंच)। मगर सही तरीके से बँटवारा किया जाये एवं ठिबक सिंचाई का उपयोग करके दो आर्वतन के बीच फसल के पानी की जरुरत को भी पूरा किया जाता है। तब यहाँ का किसान अपने बावड़ी का पानी फसल को देता है। यानि नहर का पानी **(भूपृष्ठ जल)** और बावड़ी **(भूजल)** का पानी इन दोनों का **संयुक्तरित्या** उपयोग होता है।

4. दिनों–दिन कारोबार में आधुनिक तकनीकों का उपयोग

(मोबाइल हैन्डसेट के द्वारा जल उपभोक्ता संस्था का पानी कोटा निकालना) जल उपभोक्ता संघटनों की कारोबार में आधुनिकता लाने के लिये कम्प्यूटर मोबाईल हैन्डसेट का उपयोग बहुत जरुरी है। मोबाइल हैन्डसेट आसानी से उपलब्ध है और हर कोई उसका उपयोग करता है। मोबाईल हैन्डसेट के कुछ कार्य प्रणाली का उपयोग करके जल उपभोक्ता की कारोबार गति बढ़ सकती है। जैसे कि संस्था का अर्वतन का पानी कोटा निकालना, रोटेशन के दौरान पानी गेज का रिकार्ड रखना। नोकिया कंपनी के 1500/– के नीचे के हैन्डसेट इसके लिये बहुत उपयुक्त।

पानी का कोटा निकालने के लिए मोबाइल में कन्वर्टर कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

4.1 पहले एक्सट्रा ऑप्शन को खुलवाना।
4.2 उसमें कन्वर्टर ऑप्शन को खुलवाना।
4.3 उसमें"माय कनवरजन"में अपने को कई कनवरजनसे दर्ज करने की सुविधा है।
4.4 मूलभूत जानकारी को इसमें दर्ज करने के लिए प्रथम एडिट का पर्याय उपयोग में लाना।
4.5 उसमें 4 सब–ऑप्शन में मूलभूत जानकारी को दर्ज करना है।

1 टायटल – अपने संस्था का नाम दर्ज करना।
2 इनपुट – यहां पर एम.सी.एफ.टी टाईप करके दर्ज करना (डैम से छोड़ा हुआ पानी)
3 आउटपुट – यहां पर डि.क्यु टाईप करके दर्ज करना (संस्था का आवर्तन का पानी कोटा)
4 फैक्टर – यह हर संस्था के लिये अलग होती है।

यहाँ पर आपका डाटा दर्ज करने का काम पूरा होता है। जब संस्था के पानी का कोटा निकालना है उस वक्त माय कनवरजन में जो संस्था का नाम दर्ज किया है, उसे खुलवा कर उसमें कनवरजन पर्याय आयेगा। स्क्रीन पर एम.सी.एफ.टी. और डि.क्यू. ऐसे दो नाम आयेंगे। डैम में से छोड़े जाने वाले पानी का अंक दर्ज करना नीचे तुरंत संस्था का पानी कोटा डि.क्यु में आता है। डैम में से छोड़े जाने वाले पानी का अंक दर्ज करते वक्त उस पानी में से **नहर का वॉटर लॉस और लिफ्ट** के पानी को हटा देना। स्प्रेडशीट में कुछ बदलाव करके पानी के गेज को रिकॉर्ड़ किया जा सकता है।

5. उत्पादित कृषि माल का मूल्यवर्धन

संस्था के सुयोग्य बँटवारे से किसान को पानी मिला उसका कृषि उत्पाद बढ़ा। दिन–ब–दिन मौसम में आये बदलाव के कारण फसलें रोग की चपेट में आ रही हैं। सही सलाह न मिलने से गलत और अनियंत्रित तरीके से कृषि रसायनों का इस्तेमाल होने लगा उससे पर्यावरण की हानि के साथ उत्पादित कृषि माल बाधित हो रहा है। बाधित कृषि माल इस्तेमाल करने

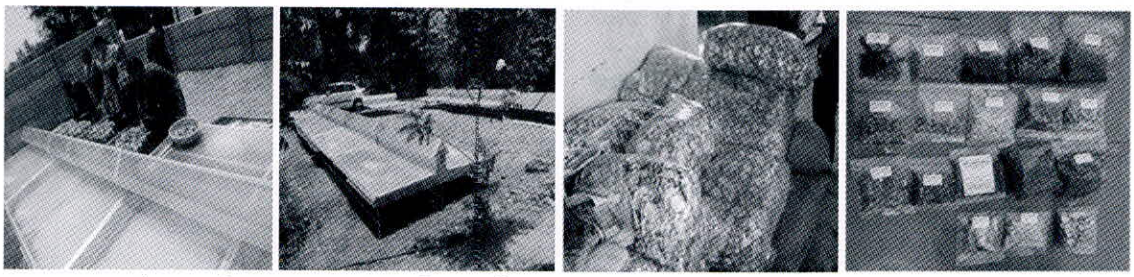

सोलर कंडक्शनड्रायर सूखी सब्जी

से **समाज का स्वास्थ्य** घटा। साथ में उत्पादित माल के बाजार व्यवस्था का सवाल है। सोलर कंडक्शनड्रायरका उपयोग करके कृषि माल का सुखाकर मूल्यवर्धन कर रहे है।

6. सहभागी सिंचाई के सक्षमीकरण के मुख्य बिंदु

6.1 नहरी जलहक का कानुन।
6.2 व्होलुम से टेल टु हेड सिंचाई।
6.3 फसल की आजादी।
6.4 जल उपभोक्ता संस्था की नोंदणी WRD की तरफ।
6.5 जलकर वसूली जल उपभोक्ता संस्था की तरफ।
6.6 कर्मचारी नियुक्ति जल उपभोक्ता संस्था द्वारा।
6.7 जलकर परतावा।
6.8 जल नियमक मंडल।
6.9 प्रशिक्षण यंत्रणा।
6.10 लिफ्ट इरीगेशके पॉलीसी।
6.11 जल उपभोक्ता संस्था का ना हरकत दाखिला।

संदर्भ

प्रस्तुत शोधपत्र ओझर के WUA के कमांड मे पिछले 20 साल से करते हुए काम के दौरान पाये गये बिंदु पर आधारित है।

409